



2026:AHC:64155

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9372 सन् 2026

मोहम्मद जाबिर अली

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के ओर से अधिवक्ता : संजय द्विवेदी

विपक्षी के ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री संजय द्विवेदी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा श्री वी.पी. मौर्या, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से, को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक मोहम्मद जाबिर अली की ओर से अपराध संख्या 110 सन् 2025, उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम की धारा 3/5क/5ख/8 के अन्तर्गत, थाना सैयद राजा, जनपद चन्दौली में पंजीकृत मामले में, विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा इस मामले में उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त पवन कुमार यादव के इकबालिया बयान में सामने आया है तथा उक्त पवन कुमार यादव द्वारा चलाये जा रहे वाहन से दो जीवित गायें बरामद बताई जाती हैं। आवेदक दिनांक 12.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक का दो वादों का आपराधिक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास है, जिसे उसने आवेदन में विधिवत् स्पष्ट किया है, तथा उसने वचन दिया

है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की अत्यधिक लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समापन की कोई सम्भावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. गिरफ्तार सह-अभियुक्त पवन कुमार यादव के इकबालिया बयान में आवेदक का नाम सामने आया है तथा उक्त पवन कुमार यादव वाहन चला रहा था और उक्त वाहन से दो जीवित गायें बरामद बताई जाती हैं। आवेदक दिनांक 12.01.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा आवेदक का दो वादों का आपराधिक इतिहास है, जिसे उसने आवेदन में विधिवत् स्पष्ट किया है।

6. समस्त तथ्यों, प्रकृति एवं अभिलेख में परिलक्षित साक्ष्य की समग्रता पर विचार करने के उपरान्त तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मुझे यह एक जमानत के योग्य प्रकरण प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **मोहम्मद जाबिर अली**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत मुचलका एवं उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय के समक्ष अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाये या साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा, उन तारीखों पर जो (i) वाद का प्रारम्भ, (ii) आरोप-निर्धारण, एवं (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने के लिए नियत की गयी हों।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक यह वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य की तारीखों पर, जब साक्षीगण

विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण हेतु सीमित है और किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कहे गये किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।